

## समाहरणालय, मुंगेर।

(जिला योजना कार्यालय)

### आदेश

मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के मार्गदर्शिका के आलोक में माननीय सावि0प0 श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह द्वारा अनुशंसित निम्नलिखित योजनाओं का प्राक्कलन तकनीकी स्वीकृति के पश्चात कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, मुंगेर के पत्रांक 1107 दिनांक 04.09.2014 द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति हेतु प्राप्त हुए हैं।

मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत ट्रांसफार्मर लगाए जाने से संबंधित विभिन्न पत्रों द्वारा प्राप्त निदेशों में अंकित शर्तों के अधीन इन योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति निम्न प्रकार प्रदान की जाती है तथा कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, मुंगेर (साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड) को कार्यकारी एजेन्सी नामित किया जाता है। इनके कार्यान्वयन हेतु कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, मुंगेर, कम्पनी को मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत राशि उपलब्ध करायेंगे।

क्र०	योजना का नाम	प्रखण्ड	प्राक्कलन संख्या	तकनीकी स्वी० राशि	प्रशासनिक स्वी० राशि	MMKVY अन्तर्गत अंशदान की राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	महगामा खजुरिया म०वि० के निकट 16 के०भी०ए० के बदले 63 के०भी०ए० का ट्रांसफार्मर	धरहरा	192	202588.00	202588.00	125000.00
2	महरना में स्व० राजेश घर के समीप 16 के०भी०ए० के बदले 63 के०भी०ए० का ट्रांसफार्मर	धरहरा	191	202588.00	202588.00	125000.00
3	माताडीह दास टोला दरियापुर में 25 के०भी०ए० के बदले 63 के०भी०ए० का ट्रांसफार्मर	धरहरा	190	106942.00	106942.00	106942.00
4	आजीमगंज कुंवरपुर म०वि० के निकट 16 के०भी०ए० के बदले 63 के०भी०ए० का ट्रांसफार्मर	धरहरा	193	202588.00	202588.00	125000.00
5	बढ़ौना ग्राम मंडल टोला में 16 के०भी०ए० के बदले 63 के०भी०ए० का ट्रांसफार्मर	ह० खड्गपुर	194	204891.00	204891.00	125000.00
6	रतैठा पंचायत के कुशवाहा टोला में 16 के०भी०ए० के बदले 63 के०भी०ए० का ट्रांसफार्मर	ह० खड्गपुर	197	201758.00	201758.00	125000.00
योग-				1121355.00	1121355.00	731942.00


अंशदान की कुल राशि मो०-731942.00 (सात लाख एकतीस हजार नौ सौ बियालीस) रू० मात्र।

सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार पटना के पत्रांक 3038 दिनांक 18.07.2014 द्वारा प्राप्त निदेश के आलोक में क्रमांक 3 पर अंकित योजना में प्रशासनिक स्वीकृति की राशि अंशदान की राशि से कम होने के कारण पूरी राशि विमुक्त की जा रही है जबकि अन्य योजनाओं में अंशदान की राशि विमुक्त की गई है। इस प्रकार स्तम्भ 07 में अंकित अंशदान की कुल राशि मो०-731942.00 (सात लाख एकतीस हजार नौ सौ बियालीस) रू० एकमुश्त कार्यकारी एजेन्सी को विमुक्त की जाती है। कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, मुंगेर अंशदान की एकमुश्त राशि पूर्व प्राप्ति रसीद के आधार पर कार्यान्वयन एजेन्सी को लेखा हस्तांतरण/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से उपलब्ध करायेंगे।

कायान्वयन एजेन्सी, कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, मुंगेर ( साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड) अग्रलिखित शर्तों के अन्तर्गत योजनाओं का कार्यान्वयन करायेंगे।


### शर्तें-

1. कार्यकारी एजेन्सी कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, मुंगेर (साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड) यह सुनिश्चित करेंगे कि मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के मार्गदर्शिका तथा समय-समय पर इस संबंध में विभाग द्वारा निर्गत पत्रों के माध्यम से प्राप्त निदेशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाय।
2. कार्यकारी एजेन्सी योजनाओं का कार्य प्राक्कलन के विशिष्टियों के अनुरूप करायेंगे एवं योजना का कार्यान्वयन तीन माह के अन्दर कराना सुनिश्चित करेंगे तथा वे इसके लिये पूर्णतः जिम्मेवार होंगे।
3. राशि का संधारण एवं व्यय बिहार वित्तीय नियमावली के तहत संधारित किया जाय।
4. किसी भी परिस्थिति में इस राशि का विचलन अयन्त्र नहीं होगा।
5. कार्यान्वयन एजेन्सी द्वारा कार्य स्थल पर कार्य प्रारंभ कराये जाने के साथ साईन बोर्ड लगाया जायेगा जिसपर योजना का नाम, योजना का मद, प्राक्कलित राशि कार्यकारी एजेन्सी का नाम, तथा योजना पूर्ण होने की तिथि अंकित की जायेगी।
6. योजना का कार्य प्रारंभ किये जाने के पूर्व इसका रंगीन फोटो लिया जाय तथा इसे अभिलेख में रखा जाय। इसी प्रकार एक रंगीन फोटो कार्य के मध्य में तथा एक फोटो योजना पूर्ण होने के पश्चात लिया जाय और इसे अभिलेख के साथ संलग्न कर रखा जाय।
7. योजना का भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक माह की तीसरी तारीख तक निश्चित रूप से जिला योजना कार्यालय को उपलब्ध कराया जाय।
8. योजना स्थल किसी अन्य विभाग की भूमि हो तो कार्यकारी एजेन्सी उस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर ही योजना का कार्य प्रारंभ करायेंगे।
9. योजना का कार्य पूर्ण होने के उपरांत संबंधित कार्यपालक अभियंता, (विद्युत) द्वारा पूर्णता प्रमाण पत्र के साथ उपयोगिता प्रमाण पत्र कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, मुंगेर को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
10. योजना के पूर्ण होने के पश्चात् योजना से संबंधित वार्षिक अंकेक्षण प्रतिवेदन कम्पनी द्वारा अधोहस्ताक्षरी एवं कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, मुंगेर को उपलब्ध करायेंगे।
11. वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर पूर्व में व्यय की गई राशि का ब्यौरा कार्यकारी एजेन्सी अधोहस्ताक्षरी को समर्पित करेंगे।
12. संबंधित विधान मंडल सदस्य से योजनाओं के शिलान्यास/उद्घाटन में विभागीय निदेशों का अनुपालन करेंगे।

  
जिला योजना पदाधिकारी  
मुंगेर।

ज्ञापांक 489 / जि0यो0, दिनांक 10/9/14

- प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियंता स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि- क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को सादर सूचनार्थ।
- प्रतिलिपि- संयुक्त निदेशक, योजना एवं विकास विभाग, बिहार पटना को सादर सूचनार्थ।
- प्रतिलिपि- श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, माननीय स0वि0प0 को सादर सूचनार्थ।

  
जिला योजना पदाधिकारी  
मुंगेर।